# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 650 सन 2021
अनवान :–

1. जैता पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 14.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 38/29 की कुल 34.9920हैक में से 709/12960 हिस्सा, व खाता संख्या 70/60 की कुल 571/4 की कुल 2.8330हैक भूमि प्रार्थीया का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जेतो पत्नी इन्द्राज, कमलादेवी पत्नी इन्द्राज दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम जेता पत्नी ईन्द्राज है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम जेता पत्नी इन्द्राज दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 38/29 की कुल 34.9920हैक में से 709/12960 हिस्सा, व खाता संख्या 70/60 की कुल 571/4 की कुल 2.8330हैक भूमि प्रार्थीया का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थीया का नाम जेतो पत्नी इन्द्राज , कमलदेवी पत्नी इन्द्राज दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम जेता पत्नी इन्द्राज है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम जेता पत्नी इन्द्राज दर्ज है सहवन से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

प्रार्थीया के नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पंचायत ने भी प्रार्थीया के नाम से सम्बध में तस्दीक पेश की गई है तथा मजमे आम में जानकारी लेने पर प्रार्थीया का नाम जेता पत्नी इन्द्राज होना पाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 38/29 की कुल 34.9920हैक में से 709/12960 हिस्सा, व खाता संख्या 70/60 की कुल 571/4 की कुल 2.8330हैक भूमि में प्रार्थी का नाम जेतो पत्नी इन्द्राज एवं कमलादेवी पत्नी इन्द्राज दर्ज के स्थान पर जेता पत्नी इन्द्राज एवं जेता उर्फ कमलादेवी पत्नी इन्द्राज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट– सोनडी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/113 दिनांक :–14/10/21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण अनवानी जेता बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. जेता पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजां सोनडी के खाता संख्या 38/29 की कुल 34.9920हैक में से 709/12960 हिस्सा, व खाता संख्या 70/60 की कुल 571/4 की कुल 2.8330हैक भूमि में प्रार्थी का नाम जेतो पत्नी इन्द्राज एवं कमलादेवी पत्नी इन्द्राज दर्ज के स्थान पर जेता पत्नी इन्द्राज एवं जेता उर्फ कमलादेवी पत्नी इन्द्राज संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के सग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट– सोनडी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner